न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 76 / 2015</u> संस्थित दिनांक—18.10.2012 फाईलिंग नंबर—230303009472012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. अंग्रेजिसंह पुत्र कश्मीरिसह सिख निवासी बूटीकुईया थाना गोहद चौराहा (फोत)
- 2. देवेन्द्र तोमर पुत्र बदनसिंह तोमर उम्र 35 साल निवासी ग्राम छीमका थाना गोहद चौराहा
- 3. मनीष उर्फ बनिया मांडिल पुत्र भोगीराम जाति मांडिल उम्र 32 साल निवासी गंज बाजार गोहद ———**उपस्थित आरोपीगण**
- 4. रिंकू उर्फ धर्मेन्द्र शुक्ला पुत्र जानकी प्रसाद शुक्ला उम्र 35 साल निवासी ग्राम बरथरा थाना गोहद ———**फरार आरोपी**

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपी देवेन्द्र द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता । आरोपी मनीष मांडिल द्वारा श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता।

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक 17.03.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अभियुक्तगण देवेन्द्र तोमर एवं मनीष मांडिल के विरुद्ध धारा—394, 506, 504 सहपिटत धारा—34 भा०द०वि० सहपिटत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.09.12 को दिन के करीब 2—3 बजे स्टेट बैंक गोहद के पास मंदिर में एकराय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में अपने सह आरोपियों के साथ डकैती प्रभावित क्षेत्र में परिवादी छोटेसिंह भदौरिया की जब में से 3300/—रूपये नगद, पासबुक, पेनकार्ड, परिचय पत्र लूटा और लूटने के प्रयोजन से उसे स्वेच्छ्या या साधारण उपहित कारित की एवं उसे भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा उसे माँ बहिन की अश्लील गालियाँ देकर अपमानित करके उसे यह जानते हुए उकसाया कि ऐसा उकसाने से वह या तो अपराध करेगा या लोक शांति भंग करेगा।
 - 2. प्रकरण में आरोपी रिंकू उर्फ उर्फ धर्मेन्द्र को स्थाई रूप से फरार घोषित कर

उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है। तथा आरोपी अंग्रेज फोत हो चुका है। यह भी निर्विवादित है कि घटना दिनांक 04.09.12 को फरियादी छोटेसिंह भदौरिया उपजेल गोहद में प्रहरी के पद पर कार्यरत था। यह भी निर्विवादित है कि घटना दिनांक 04.09.2012 को स्टेट बैंक गोहद के पास मंदिर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक—एफ— 91.07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।

- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि उपजेल गोहद में पदस्थ प्रहरी छोटेसिंह भदौरिया के द्वारा दिनांक 05.09.12 को एक लेखीय आवेदन पत्र सुबह 09.15 बजे थाना प्रभारी गोहद को इस आशय का प्र0पी0–1 का प्रस्तुत कि। गया कि वह दिनांक 04.09.12 को दिन के करीब तीन बजे के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में पैसे जमा करने के लिये गया था। लंच होने की वजह से बैंक के बाहर पटिया पर बैटा था तभी वहाँ अंग्रेज, देवेन्द्रसिंह तोमर निवासी छीमका, रिंकू शर्मा बगथरा और मनीष बनिया निवासी गंज बाजार गोहद के एक साथ एक अन्य व्यक्ति आया जिसे वह सामने आने पर पहचान लेगा। पांचों लोगों ने उस पर आकर हमला किया और उसे उठाकर सामने मंदिर में ले गये। फिर उसकी मारपीट की। कपडे फाड दिये, उसे नंगा कर दिया और मोबाईल से उसकी फोटो खींची तथा बैंक में जमा करने के लिये वह अपनी जेब में 3300 / – रूपये. बैंक की पासबुक, परिचय पत्र, व पैनकार्ड रखे थे जिन्हें लूटकर वह लोग ले गये। अंग्रेज ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर लगाकर कहा कि मादरचोद रिपोर्ट करना तूँ बहुत माँ चुदा रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दी। जिसे वहाँ आते जाते लोगों ने देखा। उनका एक प्रहरी आजाद खाँ बाजार आया था जिसने देखा तथा बीच बचाव किया तो वहाँ से बदमाश भाग निकले और कह रहे थे कि वह उसे छोडेंगे नहीं। इस आधार पर बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेत् पेश किया जिसे थाना प्रभारी गोहद द्वारा ए०एस०आई० गौर को जांच हेतृ सुपूर्व किया गया जिसकी जांच तत्कालीन ए०एस०आई० गिरीश मोहन के द्वारा करते हुए प्र0पी0-2 की जांच रिपोर्ट थाना प्रभारी गोहद को सौंपी जिस पर से थाना प्रभारी के आदेश पर प्र0पी0–3 की एफ0आई0आर0 दिनांक 05.09.12 को कायम कर अप०क०–199 / 12 धारा–394 भा०द०वि० एवं 11 / 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर घटना को अनुसंधान में लेकर घटनास्थल का नक्शामौका, साक्षियों के कथन, तथा आरोपीगण की गिरफतारी, आरोपीगण के मेमोरेण्डम प्र०पी०-9 लगायत 11एवं मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी अंग्रेज, देवेन्द्र व रिंकू से की गई जप्तियों आदि के उपरान्त विवेचना पूर्ण कर प्रथम दृष्ट्या लूट और लूट की घटना में स्वेच्छ्या उपहति पहुंचाये जाने का अपराध मानते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भिण्ड में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया जहाँ से अंतिरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
 - 4. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा—394, 506, 504 सहपिठत धारा—34 भा०द०वि० सहपिठत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से कोई बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं

कराया गया है।

- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - अ— क्या आरोपीगण द्वारा दिनांक 04.09.12 को दिन के करीब दो तीन बजे के दरम्यान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोहद के पास स्थित मंदिर में एकराय होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी छोटेसिंह तोमर से 3300 / —रूपये नगद, बैंक की पास बुक, पैनकार्ड, परिचय पत्र आदि की लूट की?

3

- ब— क्या उक्त सुसंगत घटना की अवधि व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी छोटेसिंह भदौरिया से की गई लूट में उसे लूट के प्रयोजन से स्वेच्छ्या उपहतियाँ भी कारित की गईं?
- स— क्या उक्त सुसंगत घटना की अवधि व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी छोटेसिंह भदौरिया को भयोप्रद करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
- द— क्या उक्त सुसंगत घटना की अवधि व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी छोटेसिंह भदौरिया को मॉ बहिन की अश्लील गालियॉ देकर उसे अपमानित करके यह जानते हुए उकसाया जिससे कि लोक शांति भंग कारित हों?

_::-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न कमांक—अ एवं ब का निराकरण

- 6. उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
- 7. इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों और बताई गई घटना के अनुक्रम में अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश की गई है उसका सर्वप्रथम मूल्यांकन करना उचित व न्यायसंगत होगा। प्र0पी0—1 की लेखीय शिकायत मुताबिक बताई गई घटना में फरियादी छोटेसिंह भदौरिया के द्वारा आरोपीगण के द्वारा लूट की घटना में मारपीट करना, कपड़े फाड़ना भी बताया गया है। अभियोजन की ओर से चिकित्सीय साक्ष्य में डॉ० धीरज गुप्ता को अ0सा0—4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में लगभग पांच छः सौ एम0एल0सी० करना बताते हुए यह कहा है कि वह दिनांक 07.09.12 को सीएचसी गोहद में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। तब दिन के करीब 12.20 बजे आरक्षक राजीव दुबे आहत छोटेसिंह निवासी जेल लाइन गोहद को मेडिकल परीक्षण हेतु लाया था। जिसका उसने परीक्षण किया था। और छोटेसिंह के बांये कान के बीच में 4 गुणित 2 सेमी की मूंदी चोट, दांये कान और मेण्डिबल के बीच में 3 गुणित 2 सेमी की मूंदी चोट, छाती पर दांहिनी तरफ 1 गुणित 1 सेमी की खरोंच, दांहिनी आंख में खून के धब्बे

उपस्थित पाये थे। जो सभी चोटें सख्त व मौथरी वस्तु की होकर सामान्य प्रकृति की थी जिसकी उसने प्र0पी0—8 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए चोटें परीक्षण से छः घण्टे के भीतर की होना बताया है। यह अभिमत भी दिया है कि उक्त प्रकार की चोटें सीढ़ियों से लुढ़कने से भी आना संभव हैं। चोटों का रंग उसने नहीं लिखा था। और आहत की किसी चोट पर सूजन नहीं थी। गूमड़ था। तथा चोट का रंग व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो कि दो से पांच दिन तक रह सकती है।

- इस प्रकार से उक्त चिकित्सक की साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क रहा 8. है कि चिकित्सक की साक्ष्य से ही घटना झूंठी हो जाती है क्योंकि घटना दिनांक को कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ था जिस पर विचार किया गया। अभियोजन का मामला प्र0पी0—1 की लेखी रिपोर्ट पर आधारित है। जिसके मृताबिक घटना दिनांक 04.09.12 के दिन के करीब तीन बजे के आसपास की बताई गई है जबकि फरियादी छोटेसिंह का डाँ० धीरज गुप्ता द्वारा किया गया चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 07.09.12 के दोपहर में 12.20 बजे किया गया है। जो चोटों की समयावधि चिकित्सक द्वारा बताई गई हैं उसके अनुसार तो आहत की चोट दिनांक 07.09.12 को सुबह छः बजे से लेकर परीक्षण के दरम्यान की ही संभव है। जबिक उसका चिकित्सीय परीक्षण घटना के करीब 69 घण्टे बाद हुआ है। इससे जो चोटें अ0सा0-4 द्वारा प्र0पी0-8 में उल्लेखित की गई हैं वह घटना के समय की होना संभव नहीं हैं और कथानक मुताबिक दिनांक 07.09.12 को सुबह छः बजे के आसपास पूनः कोई घटना नहीं बताई गई है। इसलिये घटना का चिकित्सीय साक्ष्य से कोई समर्थन नहीं है और उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लूट की घटना में उपहति पहुंचाये जाने का जो कथन बताया गया है वह सुदृढ़ नहीं है। इसलिये धारा–394 भा०द०वि० आकर्षित नहीं होता है। लेकिन लूट की घटना भी बताई गई है इसलिये यह देखना होगा कि क्या अभियोजन की अन्य उपलब्ध व प्रस्तुत की गई साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों से धारा—392 भा0द0वि0 की बतलाये गये लूट के अपराध की युक्तियुक्त संदेह के परे पृष्टि होती है या नहीं?
- अभियोजन के मृताबिक प्र0पी0-1 के लेखी आवेदन की जांच ए 9. ०एस०आई० गौर को दी गई थी जैसा कि प्र०पी०–1 में अंकित है। किन्तु एएसआई गौर के द्वारा जांच नहीं की गई। बल्कि एएसआई लक्ष्मन गौड़ अ0सा0-8 के द्वारा प्रकरण में केवल फरार आरोपी रिंकू शुक्ला की गिरफ्तारी बतायी गई है जिसका अभी निराकरण नहीं किया जाना है इसलिये अ0सा0–8 के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बल्कि प्र0पी0—2 के जांच प्रतिवेदन मुताबिक तत्कालीन एएसआई गिरीश मोहन अ0सा0—1 द्वारा प्र0पी0–1 के आवेदन पत्र की जांच करना बताया गया है जिसके अभिसाक्ष्य में यह कहा गया है कि दिनांक 05.09.12 को वह थाना गोहद में पदस्थ था। तब थाना प्रभारी जे०एस० यादव थे जिनके द्वारा उसे प्र0पी0—1 का आवेदन जांच हेत् दिया गया था। जांच के दौरान उसने फरियादी छोटेसिंह तथा साक्षी आनंद भारद्वाज के कथन लिये थे और जांच पश्चात अंग्रेजिसंह, देवेन्द्र तोमर् रिंकू शुक्ला, मनीष बनिया व एक अन्य के विरूद्ध धारा—394 भा0द0वि0 का अपराध सिद्ध पाया था और थाना प्रभारी से अपराध पंजीबद्ध करने की अनुमति चाही थी जिस पर से थाना प्रभारी द्वारा उसके द्वारा दी गई प्र0पी0-2 की जांच रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई थी। जो बी से बी भाग पर है। ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताये हैं तथा थाना

5

प्रभारी के निर्देश पर प्र0पी0—2 के आधार पर प्र0पी0—3 की एफआईआर दर्ज करना बताया है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने आवेदन थाने पर स्वयं दिया था। उसे थह जानकारी तक नहीं है कि फरियादी किस विभाग में नौकरी करता है। फिर उसने संभवतः जेल विभाग में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ होना बताते हुए यह कहा है कि उसने जांच के दौरान उपजेल गोहद में जांकर कोई जांच नहीं की। न वह घटनास्थल पर गया। और एफ0आई0आर0 लिखने के पहले केवल उसने फरियादी का बयान लिया था। प्र0पी0—1 के आवेदन की जांच के दौरान वह घटनास्थल के आसपास बने मकान और दुकान वालों से भी पूछताछ करने नहीं गया। प्र0पी0—1 की जब उसे जांच मिली थी तब फरियादी थाने पर मौजूद था। जांच उसने जिन लोगों के खिलाफ की उन्हें नोटिस देना आवश्यक नहीं समझा था। जांच के दौरान वह बैंक गोहद भी नहीं गया। उसने यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी के फटे कपड़े भी उसने जप्त नहीं किये थे। आवेदन की जांच में उसे 10—15 मिनट लगे थे। उसने फरियादी छोटेसिंह के जांच में लिये कथन में तारीख पांच में भी ओव्हर राईटिंग होना स्वीकार किया है।

- इस प्रकार से अ0सा0–1 के अभिसाक्ष्य में उसके द्वारा प्र0पी0–1 के लेखी आवेदन 10. की जांच केवल 10-15 मिनट में ही कर ली जाना परिलक्षित होता है जिसमें उसने केवल दो कथन लेना बताया है। फरियादी छोटेसिंह के अलावा आनंद भारद्वाज का जांच कथन लेना बताया है लेकिन अभियोजन की ओर से आनंद भारद्धाज नामक कोई भी साक्षी न तो अनुसंधान के दौरान बताया गया है न ही साक्ष्य में पेश हुआ है न ही प्र0पी0–2 की जांच रिपोर्ट के साथ कोई जांच कथन संलग्न हैं। तथा जांचकर्ता न तो मौके पर गया न बैंक गया, न ही उपजेल गोहद जाकर उसने स्थिति का पता किया न ही फरियादी के कोई फटे कपड़े जप्त किये। जबकि प्र0पी0-1 की लेखी रिपोर्ट में बताई गई घटना में उसके कपड़े भी आरोपीगण के द्वारा फाड़े जाना और उसे नंगा किया जाना, मोबाईल से फोटो खींचे जाना भी बताये। इस बारे में भी कोई जांच नहीं की गई है। ऐसे में प्र0पी0–2 की जांच वैधानिक रूप से की जाना और निष्पक्ष की जाना परिलक्षित नहीं होता है। इसलिये प्र0पी0-2 की जांच रिपोर्ट प्रमाणित नहीं होती है और अ0सा0-1 का अभिसाक्ष्य ही विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसके द्वारा जांच में कोई भी साक्ष्य संकलित नहीं की गई है और ऐसा परिलक्षित होता है कि उसने केवल प्र0पी0-1 के लेखी आवेदन को ही आधार मानकर अपनी जांच पूर्ण कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली है। इसलिये ऐसे साक्षी की किसी भी बात को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह तो जांच हेतू कहीं गया ही नहीं। घटनास्थल तक पर नहीं गया। और जांच में 10–15 मिनट का समय लगना उसके कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। इसलिये अ०सा०-1 के अभिसाक्ष्य से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है 🍊
- 11. प्रकरण में प्र0पी0—1 की लेखी शिकायत मुताबिक घटना के अन्य प्रहरी आजाद खॉ को चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है जो भी उस समय बाजार के लिये जा रहा था। और उसने घटना देखकर मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। तब बदमाश धमकी देकर भाग गये। आजाद खॉ अ0सा0—3 के रूप में प्रकरण में परीक्षित भी हुआ है किन्तु उसने अभियोजन के कथानक मुताबिक घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी भी घोषित किया गया है। जबकि वह भी फरियादी छोटेसिंह की तरह ही

6

उपजेल गोहद में प्रहरी होकर फरियादी से हितबद्ध भी रहता था। उसके अभिसाक्ष्य में केवल इतना आया है कि दिनांक 04.09.12 को वह उपजेल गोहद में प्रहरी था और शाम के करीब 4.00 बजे सब्जी लेने के लिये सब्जी मण्डल जा रहा था। रास्ते में उसे छोटेसिंह भदौरिया मिला था जिससे उसने पूछा था कि कहाँ से आ रहे हो तब छोटेसिंह ने उसे बताया था कि वह बैंक में पैसे जमा करने गया था। वहाँ अंग्रेज खड़ा रहा रिंकू ने उसके कपड़े फाड़ दिये थे। तो उसने घटना जेलर साहब को बताने के लिये और कार्यवाही करने के लिये कह दिया था। उसकी और कोई बातचीत नहीं हुई। जब उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये जिस पर उसने यह अवश्य स्वीकार किया है कि छोटेसिंह ने उसे 3300 / – रूपये लूटने की बात भी बताई थी किन्तू वह यह भी कहता है कि आरोपियों के नाम नहीं बताये थे। उसने इस बात से इन्कार किया है कि छोटेसिंह ने उसे यह बताया था कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। साक्षी ने प्र0पी0-7 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इन्कार किया है जिस पर प्र0पी0-1 मुताबिक बताई गई घटना का उल्लेख है। इस तरह से एकमात्र बताये गये चक्षदर्शी साक्षी प्रहरी आजाद खाँ के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। और आजाद खॉ के अभिसाक्ष्य में ऐसा भी नहीं आया है कि जिससे उसने फरियादी छोटेसिंह का नग्न अवस्था में और फटे हुए कपडों की अवस्था में देखा हो। या चोटिल अवस्था में देखा हो। जैसी कि अभियोजन की कहानी है। ऐसी स्थिति में जबकि आजादखाँ की समर्थन प्राप्त नहीं है और आनंद भारद्वाज नामक कोई व्यक्ति साक्षी नहीं है अतः घटना के संबंध में फरियादी छोटेसिंह अ०सा०–2 ही शेष रहता है। ऐसे में उसके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है।

- 12. जहाँ तक फरियादी छोटेसिंह भदौरिया अ०सा0—2 के अभिसाक्ष्य का प्रश्न है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में पैरा—1 में तो प्र0पी0—1 मुताबिक घटना बताते हुए यह कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है और दिनांक 04.09.12 को उपजेल गोहद में वह प्रहरी था। दिन के करीब तीन बजे वह स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में पैसा जमा करने के लिये गया था। जब बैंक पहुंचा तब लंच हो चुका था तो संतरी ने उसे रोक लिया। फिर वह वहीं पटिया पर बैठ गया। तभी अंग्रेज, देवेन्द्र, रिंकू, मनीष बनिया और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति जिसका वह नाम नहीं जानता है, आये और अंग्रेज ने उसका कॉलर पकड़ा व रिंकू ने बांह पकड़ी और बोला कि तेरे से इधर बातचीत करनी है। और पास में ही स्थित मकान में ले गये। सभी ने उसकी पिटाई की तथा रिंकू ने कपड़े फाड़े। आरोपीगण ने उसे नंगा किया। मोबाईल फिल्म बनाई। उसके 3300/—रूपये जो वह बैंक में जमा करने के लिये लेकर गया था वह तथा पेनकार्ड, परिचय पत्र, बैंक की पासबुक छुड़ा लिये और भाग गये। फिर उसने बैंक मैनेजर को जाकर पूरी घटना बताई। उसके बाद जेल पर जाकर जेलर को बताया फिर थाने पर जाकर घटनाके संबंध में प्र0पी0—1 का आवेदन दिया था।
- 13. इस साक्षी ने पैरा–2 में यह भी कहा है कि पुलिस ने मीके पर आकर उसके सामने नक्शामौका प्र0पी0–4 बनाया था और उसका मेडिकल गोहद अस्पताल में ले जाकर कराया थ। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को भी पक्ष विरोधी घोषित किया गया है जो कि विचारणीय प्रश्न क0–3 एवं 4 के संदर्भ में किया गया है जिसका आगे विश्लेषण

किया जायेगा। लेकिन पैरा—3 में उसने इस बात से इन्कार किया है कि घटना आनंद भारद्वाज ने देखी थी बल्कि आजाद खाँ द्वारा घटना देखना वह बताता है। इससे अ०सा0—1 का यह कहना कि उसने जांच में आनंद भारद्वाज का भी कथन लिया था, उसका स्वतः खण्डन हो जाता है और आजाद खाँ ने समर्थन ही नहीं किया तथा उसके साथ ही प्रहरी होने के बावजूद समर्थन नहीं करना अभियोजन के लिये अत्यंत घातक है। जो उनके कथानक को दुर्बल बनाता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रहरी छोटेसिंह ने झूंठी कहानी गढ़कर रिपोर्ट की है और रिपोर्ट विलंबित भी है। जो सोच समझकर अधिकारियों के कहने पर की गई है इसलिये वह विश्वसनीय नहीं है।

7

- 14. फरियादी छोटेसिंह भदौरिया अ०सा०–2 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा–4 में यह बताया गया है कि वह जेल से अकेला ही बैंक में पैसा जमा करने के लिये गया था और बैंक जेल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर होकर सदर बाजार में है। उसके सामने रोड़ है और लोगों का आना जाना रहता है। लंच होने के कारण वह बाहर ही बैठ गया था और पांच सात मिनट ही बैठा था। उस समय संतरी के अलावा दरवाजे पर और कोई नहीं था व पैरा–5 में उसने आरोपीगण का पैदल आना भी बताया है जबिक विवेचना में फोत आरोपी अंग्रेज से प्र0पी0–14 मुताबिक उसकी मोटरसाईकिल भी दिनांक 18.09.12 को जप्त करना बताया गया है जबिक फरियादी के मुताबिक मोटरसाईकिल का घटना में कोई उपयोग ही नहीं हुआ है।
- 15. 🔏 अ०सा0–2 छोटेसिंह भदौरिया ने अपने अभिसाक्ष्य में कपड़े फाड़े जाने के संबंध में जो बात बताई है उसके संबंध में उसका पैरा–6 में यह कहना रहा है कि घटना के समय वह पाजामा और शर्ट पहने था। पाजामा सामने से फटकर दो हो गया था ओर उसने अपने कपड़े स्वयं पुलिस को दिये थे। जबिक अनुसंधान में फरियादी के कोई कपड़े जप्त होना नहीं बताये गये हैं। यह भी घटना के बारे में संदेह उत्पन्न करता है। पैरा–6 में ही साक्षी आजादखाँ के बारे में यह कहा है कि जब वह घटना के बाद मंदिर से बैंक की तरफ लौट रहा था तब उसे आजाद खॉ रास्ते में मिला और कोई नहीं मिला जबकि प्र0पी0-1 की लेखी रिपोर्ट में आजादखाँ का घटना के दौरान ही आ जाना, बीच बचाव करना बताया गया है। इससे भी उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता है। पैरा–6 में ही उसने बैंक में घटना के बारे में बताना कहा है जिस समय उसे बैंक के बाहर पटिया पर बैठी दशा में आरोपीगण का उठाकर मंदिर की तरफ ले जाना प्र0पी0-1 में बताया गया है उस समय वह बैंक के संतरी की बैंक के दरवाजे पर उपस्थिति बताता है। किन्तु अनुसंधान के दौरान न तो बैंक के संतरी को साक्षी बनाया गया है न ही बैंक मैनेजर को साक्षी बनाया गया है न ही पेश किया गया है जिसे वह सर्वप्रथम घटना बताना कह रहा है। फरियादी के मुताबिक उसने जेल पर जाकर जेलर को भी घटना बताई थी किन्तु तत्कालीन जेलर उपजेल गोहद को भी प्रकरण में साक्षी के तौर पर न तो बनाया गया है न ही पेश किया गया है। इससे प्र0पी0—1 के वृतांत के बारे में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- 16. अ०सा०–2 छोटेसिंह भदौरिया के पैरा–5 मुताबिक जिस समय उसे आरोपीगण बैंक से मंदिर की ओर ले गये, उस समय रास्ते में एकाध व्यक्ति भी था और ले जाते समय वह चिल्लाया नहीं था। बैंक और मंदिर के बीच की दूरी करीब सौ कदम की है। मंदिर सुनसान बताया है जिसके चारौ ओर बाउण्ड्री है तथा उस समय वह मंदिर के

पुजारी की उपस्थिति भी बताता है। सौ कदम की दूरी के बावजूद वह पन्द्रह सैकेण्ड ही मंदिर तक पहुंचने में लगना बताता है। व्यस्ततम स्थान के बावजूद कोई भी स्वतंत्र साक्षी न होना तथा स्वतंत्र साक्षी को अनुसंधान के दौरान न तलाशा जाना भी संदेह उत्पन्न करता है। फरियादी ने मंदिर में 10–15 मिनट तक मारपीट बताई है जिसमें सभी आरोपीगण के द्वारा उसे थप्पड़ों से मारना कहा है किन्तु उसके बावजूद कोई ऐसी चोट नहीं पाई गई जो घटना के समय की प्र0पी0–8 मुताबिक परिलक्षित होती हो इससे भी संदेह उत्पन्न होता है।

- फरियादी छोटेसिंह भदौरिया अ०सा०-2 के मुख्य परीक्षण मुताबिक तो उसके द्वारा 17. घटना दिनांक को ही प्र0पी0-1 का आवेदन थाने पर दिया गया थज्ञ। जबकि प्र0पी0-1 के आवेदन का अवलोकन करने पर आवेदन पत्र थाने पर घटना के अगले दिन दिनांक 05.0.12 को सुबह 9.15 बजे पेश किया गया था। ऐसे में रिपोर्ट भी विलंबित होना और उसका कोई स्पष्टीकरण न होना प्रकट होता है। जो भी अभियोजन के कथानक को संदिग्ध बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण कारक है और रिपोर्ट के संबंध में अ०सा०–2 ने पैरा–7 में यह कहा है कि रिपोर्ट करने के पहले वह अपने अधिकारी के पास गया था। जेल पर जाकर उसने मुंशी बिज कुमार से प्र0पी0-1 का आवेदन लिखवाया था। फिर उसे जेलर को दिया था। उसके बाद थाने पर ले गया था। वह थाने पर छः बजे के आसपास पहुंचना और आवेदन देना बताता है जबिक घटना दिनांक को थाने पर प्र0पी0—1 का आवेदन नहीं दिया गया है। इसके संबंध में भी विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ०सा०–७ का स्पष्टीकरण नहीं है और एफ०आई०आर० का विलंबित होना अपने आप में घटना को संदिग्ध बना देता है क्योंकि प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी जे०एस० यादव साक्षी के तौर पर उपस्थित नहीं हुआ है। जांचकर्ता एएसआई गिरीश मोहन अ०सा०–1 के मुताबिक उसे आवेन दिनांक ०५.०९.१२ को ही दिया गया था। प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 भी दिनांक 06.09.12 की है जबकि अ0सा0-1 ने जो जांच की वह जांच दस पन्द्रह मिनट में ही दिनांक 05.09.12 को ही कर ली। ऐसे में प्र0पी0-2 का जांच प्रतिवेदन अगले दिन प्रस्तुत होना भी संदेह उत्पन्न करता है और कहीं न कहीं रिपोर्ट दर्ज होने में आपसी विचार-विमर्श मंत्रणा के बिन्दु को इंगित करता है जो भी संदेह उत्पन्न करता है।
- 18. प्र0पी0–1 का आवेदन पत्र लिखने वाले मुंशी बृिजकुमार को भी अभियोजन की ओरसे साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। तथा विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ0सा0–7 ने अपने अभिसाक्ष्य में इस संबंध में स्थित स्पष्ट नहीं की है कि अनुसंधान के दौरान प्र0पी0–1 के लेखी आवेदन में फरियादी ने जो कपड़े फाड़े जाना, मोबाईल से से फोटो खींचे जाना बताया है उसे क्यों संकलित नहीं किया गया क्योंकि प्र0पी0–9 लगायत 11 के मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा–27 साक्ष्य विधान में भी मोबाईल और मोबाईल से खींचे गये फोटो आदि के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं। हालांकि उसके संबंध में अभी आगे मूल्यांकन किया जाना है। किन्तु जिस प्रकार की घटना प्र0पी0–1 में बताई गई है वह अप्राकृतिक स्वरूप की है क्योंकि घटना दोपहर के समय की है। सार्वजनिक स्थल बैंक के सामने और मंदिर की है। सदर बाजार व्यस्ततम मार्कट है तथा घटना कार्य दिवस की है। ऐसे में कोई मौके का साक्षी या निष्पक्ष साक्षी न मिलना, मेडिकल साक्ष्य से समर्थित न होना, फोटो कपड़े बरामद न होना, अश्लील निकाले

गये फोटोग्राफ्स का संकलित न होना अ०सा०–2 के अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बना देता है। इसलिये अ०सा०–2 के आधार पर लूट की घटना को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

- 19. प्रकरण में आरोपीगण को अनुंसधान के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने, पूछताछ करने पर उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हुई बरामदगी के तहत भी अभियोजित किया गया है जिसके संबंध में भी अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश की गई है उसके आधार पर भी यह मूल्यांकित करना होगा कि क्या लूट की कोई घटना घटित होना संदेह के परे अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है?
- इस संबंध में प्र0पी0-5 व 6 के जप्ती पत्र के पंच साक्षी अनुसंधान में पुलिस द्वारा 20. फरियादी छोटेसिंह को भी बना लिया गया है जबकि उसके लिये कोई न कोई स्वतंत्र साक्षी होना चाहिए था और प्र0पी0—5 मुताबिक फोत आरोपी अंग्रेज से फरियादी का परिचय पत्र तथा प्र0पी0-6 मुताबिक आरोपी देवेन्द्र से फरियादी का पेन कार्ड जप्त बताया गया है जिसके संबंध में अ०सा०–2 पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्नों में पैरा–3 में तो सकारात्मक साक्ष्य देता है किन्तु जब उससे इस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षा में पैरा–9 में प्रश्न पूछे गये तो उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जप्ती की कार्यवाही किस तारीख की की, किस अधिकारी के द्वारा की गई थी और जप्ती के सामान की संख्या भी नहीं बता सकता है। ऐसे में प्र0पी0-5 और 6 के संबंध में भी अ0सा0-2 विश्वसनीय साक्षी नहीं है। प्र0पी0-5 एवं 6 का दूसरा पंच साक्षी मुन्ना खटीक अ0सा0-6 है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-5 व 6 पर केवल अपने हस्ताक्षर बताये हैं किन्तु उनका समर्थन पक्ष विरोधी होते हुए नहीं किया गया है। प्र0पी0–5 व 6 की कार्यवाही उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ0सा0–7 के द्वारा करना बताई गई है किन्तु प्र0पी0–5 व 6 के दस्तावेज स्वाभाविक प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी अपराधी ऐसी वस्तु अपने पास सुरक्षित नहीं रखेगा जो उसे स्वयं घटना में संलिप्त करने के लिये पर्याप्त हों। प्र0पी0–5 के मुताबिक परिचय पत्र और प्र0पी0-6 मुताबिक पेनकार्ड की जप्ती बताई गई है। दोनों ही ऐसे दस्तावेज हैं जो किसी भी आरोपी को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं और वे क्यों रखे थे इसका भी कोई स्पष्टीकरण अ०सा०-७ के अभिसाक्ष्य में नहीं आया है। इसलिये प्र०पी०-५ व ६ के दस्तावेज उसके अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं।
- 21. प्रकरण में साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०—6 प्र०पी०—5 व 6 के अलावा प्र०पी०—12 लगायत 14 के दस्तावेजों का भी पंच साक्षी है जिसका भी उसने कोई समर्थन नहीं किया है। और प्र०पी०—12 के द्वारा फोत आरोपी अंग्रेज को दिनांक 18.09.12 को गिरफ्तार किया जाना प्र०पी०—13 के मुताबिक आरोपी देवेन्द्र को उक्त दिनांक को ही गिरफ्तार किये जाने और प्र०पी०—14 मुताबिक अंग्रेज से उसकी मोटरसाईकिल की जप्ती बताई गई है जबिक मोटरसाईकिल का तो घटना में उपयोग ही नहीं हुआ है इसलिये उक्त दस्तावेजों से भी अभियोजन को कोई बल प्राप्त नहीं होता है जिसमें आरक्षक अनिल अ०सा०—9 फरार आरोपी रिंकू के संबंध में साक्षी है इसलिये उसके अभिसाक्ष्य के विश्लेषण की अभी आवश्यकता नहीं है।
- 22. अब प्रकरण में आरक्षक रिंकू सिंह अ०सा०–5 और विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ०सा०–7 ही शेष हैं जिनके अभिसाक्ष्य के आधार पर भी यह देखना होगा कि क्या

उससे लूट की घटना घटित होना और विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा उसमें संकलित होना प्रमाणित होता है अथवा नहीं। आरक्षक रिंकूसिंह अ0सा0—5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 19.09.12 को थाना गोहद में कोर्ट मुहरिर के पद पदस्थ रहना पैरा—5 में बताते हुए पैरा—1 में यह कहा है कि उसके सामने उक्त दिनांक को आरोपी देवेन्द्र का उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा ने मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0—9 लिया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर भी कराये थे और देवेन्द्र ने बैंक की रसीदें और पेनकार्ड अपने घर पर रखना और बरामद कराना बताया था। उक्त साक्षी फोत आरोपी अंग्रेज और फरार आरोपी रिंकू के मेमोरेण्डम कथनों में भी साक्षी है जिसके संबंध में इस स्तर पर मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये प्र0पी0—9 के संबंध में ही उसके अभिसाक्ष्य को देखा जा सकता है।

- प्र0पी0-9 के संबंध में उक्त साक्षी का यह पैरा-5 में कहना रहा है कि आरोपी 23. किस अपराध में थाने पर निरूद्ध था. इसकी उसे जानकारी नहीं है। न ही यह जानकारी है कि कितने दिन से आरोपी देवेन्द्र बंद था और जब प्र0पी0–9 पर उसके हस्ताक्षर हुए थे उस समय अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। इस बात से उसने इन्कार किया है कि उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा का अधीनस्थ होने के कारण उसने प्र0पी0–9 पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। प्र0पी0–9 का दूसरे पंच साक्षी आरक्षक इंदरीश को अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्र0पी079 के संबंध में विवेचक शिवकुमार शर्मा अ0सा0–7 ने यह बताया है कि आरोपी देवेन्द्र को उसने दिनांक 18.09.12 को प्र0पी0–13 मुताबिक गिरफतार किया था फिर उससे पूछताछ की थी जिस पर उसने बैंक की रसीदें और पैनकार्ड घर पर रखना और बरामद कराना बताया था जिसके आधार पर उसने प्र0पी0–9 का मेमोरेण्डम लेख किया था। फिर दिनांक 20.09.12 को आरोपी देवेन्द्र द्वारा अपने घर पर छोटेसिंह का पैनकार्ड जप्त कराया था जिसका प्र0पी0–6 का जप्ती पत्रक बनाया गया था। जैसा कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित किया जा चुका है कि पेनकार्ड, परिचय पत्र बैंक की पास बुक व रसीदें आदि ऐसी वस्तुऐं हैं जिनसे किसी भी अपराधी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है और ऐसे दस्तावेज सामान्यतः अपने घर पर कोई नहीं रखता है और प्र0पी0-6 के पंच साक्षियों से समर्थित भी नहीं पाया गया है। इसलिये विवेचक के अभिसाक्ष्य के आधार पर उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अ०सा०–७ के द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित कोई रोजनामचासान्हा आदि पेश ही नहीं किया गया है। तथ पैनकार्ड के आधार पर लूट की घटना को सिद्ध नहीं माना जा सकता है। जबकि प्रत्येक बिन्दु पर अभियोजन की साक्ष्य प्रबल और शंकारपद तथा विवेचक के अभिसाक्ष्य मुताबिक आरोपी मनीष उर्फ बनिया को उसने दिनांक 08.10.12 को प्र0पी0-17 मुताबिक गिरफ्तार मात्र किया है। उसका न तो धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत कोई मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया है न ही उससे कोई बरामदगी हुई है। ऐसे में उसके संबंध में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर संकलित नहीं है जो उसके संबंध में घटना को संदिग्ध बनाता है।
- 24. विवेचक अ0सा0-7 के मुताबिक उसने दिनांक 06.09.12 को मौके पर जाकर फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का प्र0पी0-4 का नक्शामौका तैयार करना बताया है। जबकि फरियादी छोटेसिंह अ0सा0-2 ने जिस प्रकार की साक्ष्य दी है उससे वह घ ाटना दिनांक को ही कार्यवाही होना प्रकट करता है और नक्शा दोपहर एक बजे तैयार

करना बताता है जबकि नक्शा दिनांक 06.09.12 को दिन के तीन बजे की प्र0पी0-4 अनुसार है। फरियादी के मुताबिक उसके साथ मंदिर में जो घटना बताई गई है वह बैंक के सामने की होना वह कहता है। जहाँ पहुंचने में मात्र पन्द्रह सैकेण्ड ज्यादा से ज्यादा लगे जबिक एक ओर वह सौ कदम की दूरी भी कहता है जिससे फरियादी स्वयं ही घ ाटनास्थल के संबंध में स्थिर नहीं है और प्र0पी0-4 के अवलोकन से तो बैंक तथा मंदिर अलग–अलग दिशाओं में हैं, आमने सामने भी नहीं है बल्कि बैंक से जो रास्ता गया है, उस रास्ते में बस स्टेण्ड से सब्जी मण्डी को जाने वाला रास्ता निकलने के बाद मंदिर आता है जिसमें व्यायामशाला भी दर्शाई गई है। ऐसे में घटनास्थल ही स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा की गई कोई कार्यवाही जो कि किसी भी साक्ष्य से समर्थित नहीं है इसलिये विवेचक अ०सा०–७ के अभिसाक्ष्य को भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और उसके आधार पर लूट की घटना की कोई पृष्टि नहीं होती है। जिस प्रकार से विवेचना की गई है उससे भी घटना स्वाभाविक परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि आरोपियों के जो धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन लिये गये उसमें आरोपीगण के द्व ारा घटना दिनांक को ही लूट के रूपये खर्च कर लिये गये और जो सामान आपस में बांट लिया उसमें रिंकू के पास बैंक की पासबुक, अंग्रेज के पास परिचय पत्र, देवेन्द्र के पास पेनकार्ड और मनीष उर्फ बनिया के पास बैंक की रसीदें रखना बताया है जो सभी दस्तावेज फरियादी के बताये गये हैं। यदि स्वाभाविक घटना होती तो उक्त दस्तावेज आरोपीगण अनुपयोगी होने से या तो उन्हें नष्ट कर देते या उन्हें फैंक देते। इससे भी घटना स्वाभाविक रूप से संभव होना नहीं पाई जाती है।

- 25. एक ओर तो फिरयादी बैंक में रूपये जमा करने गया था वे लूट लिये गये। दूसरी ओर जो धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत प्र0पी0—9 लगायत 11 के मेमोरेण्डम कथन देवेन्द्र, अंग्रेज और रिंकू के लिये गये उनमें बैंक की रसीदें भी बताई गईं। यदि बैंक में रूपये जमा होते तो उसकी रसीदें मिलती हैं। बैंक की पासबुक साक्ष्य में पेश नहीं की गई है जिससे यह भी प्रकट हो सकता था कि रूपये बैंक में जमा हुए या या नहीं हुए।
- 26. उक्त मामले में जप्तशुदा मुद्देमाल क्रमांक—346/12 मालखाना अनुभाग जिला न्यायालय भिण्ड से तलब किया जाकर उसका भी अवलोकन किया गया। जिसमें फरियादी छोटेसिंह भदौरिया की बचत खाता की पास बुक का अवलोकन किया गया जिसकी आखिरी प्रविष्टि दिनांक 24.02.12 की है। घटना दिनांक 04.09.12 की है। उसके आसपास की कोई प्रविष्टि नहीं है। फरियादी 3300/—रूपये जमा करने जाना बताता है। पूर्व की प्रविष्टियाँ भी 3300/—रूपये की नहीं हैं। बल्कि एक हजार, दो हजार एवं तीन हजार रूपये की प्रविष्टियाँ हैं। घटना दिनांक को बैंक में कोई राशि जमा होना इस तरह से नहीं पाया जाता है। ऐसे में बैंक की रसीदों की जो लूट बताई गई है वह भी तथ्यपरक होना नहीं पाई जाती है, यह भी घटना को संदिग्ध बनाती है।
- 27. इस प्रकार से अभिलेख पर अभियोजन की समग्र साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर युक्तियुक्त संदेह से परे यह कर्ताई प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 04.09.12 को दिन के दो तीन बजे के दरम्यान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोहद के पास मंदिर में विचाराधीन आरोपीगण ने अन्य फोत व फरार आरोपीगण के साथ मिलकर एक राय होकर फरियादी जेल प्रहरी छोटे सिंह भदौरिया को डकैती प्रभावित क्षेत्र में लूटने और लूट के प्रयोजन से

उसे स्वेच्छ्या उपहितयाँ पहुंचाने में कोई घटना कारित की। यह भी संदिग्ध है कि लूट में 3300/—रूपये तथा फरियादी के कागजात बैंक की पासबुक, पेनकार्ड, परिचय पत्र आदि की लूट की गई। फलस्वरूप आरोपीगण देवेन्द्र एवं मनीष उर्फ बिनया को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा—394 भा0द0वि0 सहपिटत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमार्क- स एवं द का निराकरण

- 28. इस संबंध में अभिलेख पर फरियादी छोटेसिंह भदौरिया अ०सा०-2 के अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित करने पर पूछे गये सूचक प्रश्नों में पैरा—3 में इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि अंग्रेज ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर लगाकर गालियाँ देते हुए यह कहा था कि मादरचोद रिपोर्ट करना, तूँ जेल में बहुत माँ चुदाता था और जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी वह अपने अलावा लाखनसिंह, ब्रिजक्मार, आजादखाँ और पन्नालाल को भी देना बताता है कि उन्हें भी कहा था कि उन्हें भी देखना है। किन्तु उक्त चारौ ही बताये गये व्यक्तियों की ओर से घटना का कोई समर्थन नहीं है। तथा लूट की मूल घटना के संबंध में अ०सा०-2 को विश्वसनीय नहीं पाया गया है। इसलिये अश्लील गालियाँ देकर अपमानित करने या भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देने की घटना को भी उक्त साक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और अभिलेख पर इस आशय की कोई भी परिस्थिति प्रकट नहीं की गई है कि दी गई धमकी से फरियादी भयभीत हुआ हो क्योंकि वह तो घटना के तत्काल पश्चात बैंक मैनेजर व जेलर को घटना बताना, आवेदन जेल में लिखकर फिर थाने पर लिखकर कार्यवाही करना बताता है जो उपलब्ध साक्ष्य से पृष्ट नहीं है और रिपोर्ट भी विलंबित पाई गई है। तथा गालियाँ दिया जाना भी सुदृढ़ साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है इसलिये धारा–506 एवं 504 सहपठित धारा–34 भा०द०वि० के आरोप भी संदिग्ध होने से उक्त धाराओं में भी आरोपीगण दोषमुक्ति के पात्र हो जाते हैं फलतः आरोपीगण का धारा–506 एवं 504 सहपिटत धारा-34 भा0द०वि० के आरोपों से भी दोषमुक्त किया जाता है।
- 29. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 30. चूंकि प्रकरण में आरोपी रिंकू अभी फरार है अतः जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में अभी कोई आदेश नहीं किया जा रहा है इसलिये अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।
- 31. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी मिण्ड को भेजी जाये । दिनांकः 17.03.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद जिला भिण्ड